फर्द अहकाम

शंकरलाल बनाम विष्णु कुमार

—वगै.

नाम न्यायालय

केस संख्या 09/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	10/1/25	प. वादी उप० वादी अधिवक्ता उपस्थित होकर साक्ष्य का शपथ-पत्र पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। चूंकि की गई और साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते हैं। साक्ष्य का अवसर बन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम हेतु दिनांक 20/1/25 को पेश हो। [signature]
	20/1/25	प. वादी उप० उक्तावेदन बहस के उक्तावेदन पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 24/1/25 को पेश हो। [signature]
	24/1/25	प. वादी उप० पत्रावली का एवं उक्त विकास का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर [illegible] किया जाता है [illegible] को [illegible] जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली [illegible] नम्बर [illegible] का [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature]

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
चौमूँ जयपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:21 IST
Reason: SelfAttested

...यालय सहायक कलक्टर (...
पीठासीन अधि...
...दमा नं0:-09/2019
शंकरलाल पुत्र नन्दाराम ...
चौमूं जिला जयपुर।
1. विष्णु कुमार पु...
ब्रम्हपुरी जय...
चौमूं जिला...
2. रामचन्द्र ...
नगर, ...
3. मदन...
ज...
4. ...

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–09/2019

उनवान

शंकरलाल पुत्र नन्दाराम उर्फ नन्दलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. विष्णु कुमार पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, जाति ब्राम्हण, निवासी 5 सन्तोष नगर ब्रम्हपुरी जयपुर, हाल निवासी किसान सर्विस पेट्रोल पम्प ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. रामचन्द्र पुत्र बालूराम जाति अहीर, निवासी ए राजीव नगर सैक्टर नम्बर 3, विद्याधर नगर, जयपुर, हाल निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. मदनलाल पुत्र रामेश्वर जाति अहीर, निवासी ए–9, जगदम्बा कॉलोनी, नयाखोडा, जयपुर, हाल निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. सज्जन कुमार पुत्र भगवानसहाय, जाति जाट, निवासी ग्राम गोविन्दपुरा बासडी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. सुमित्रा देवी पत्नी मुकेश, जाति जाट, निवासी ग्राम हनुतियां, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. सुमित्रा देवी पत्नी दशरथ, जाति जाट, गोविन्दपुरा बासडी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूं तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. थानाधिकारी पुलिस थाना गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–22.01.2025

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 उपरोक्त पते के निवासी है, वादी हाल भूमि खसरा नम्बर 6227 रकबा 0.18 है0 किस्म बारानी–2 का एवं हाल भूमि खसरा नम्बर 6195/8848 रकबा 0.30 है0 का खातेदार काश्तकार हैं, उक्त वर्णित भूमि वाके ग्राम खेजरोली, पटवार हल्का खेजरोली ए, भू0अ0नि0 क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित है, वादी लगान राज्य सरकार को अदा करता है। खाता संख्या नया 2 पुराना 617 में खसरा नम्बर 9324/6195 रकबा 0.0139 किस्म बारानी–2, खसरा नम्बर 9326/6195 रकबा ... किस्म बारानी–2, खसरा नम्बर 9327/6195 रकबा 0.0830 किस्म बारानी–2 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.1300 है0 व खाता संख्या नया 640 पुराना 574 में खसरा नम्बर 6194 रकबा 0.0100 है0 किस्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
चौमूं, जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

गै0मु0 कुआ, खसरा नम्बर 6195/8256 रकबा 0.1200 है0 किस्म डहरी प्रथम कुल खसरा 2 का कुल रकबा 0.1300 है0 सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व हाल भूमि खाता संख्या नया 812 पुराना 2 में वर्णित खसरा नम्बर 9325/6195 रकबा 0.3200 है0 किस्म बारानी–2 में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1069/1600 भाग दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है एवं शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 विष्णु कुमार के द्वारा बेचान करने पर सहखातेदार प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है व खाता संख्या नया 810 में वर्णित खसरा नम्बर 9358/9354 रकबा 0.1725 है0 किस्म वाणिज्य प्रयोजनार्थ, खसरा नम्बर 9359/9354 रकबा 0.0111 है0 किस्म बारानी–2, खसरा नम्बर 9360/9354 रकबा 0.0618 है0 किस्म बारानी–2 कुल खसरा 3 का कुल रकबा 0.2454 है0 प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है व हाल भूमि खाता संख्या 811 में वर्णित खसरा नम्बर 9355/9352 रकबा 0.1718 है0 किस्म वाणिज्य प्रयोजनार्थ, खसरा नम्बर 9356/9352 रकबा 0.0322 है0 किस्म बारानी–2, खसरा नम्बर 9357/9352 रकबा 0.0259 है0 किस्म बारानी–2 कुल खसरा 3 का कुल रकबा 0.2359 है0 प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है व हाल भूमि खाता संख्या 1 पुराना 1 में वर्णित हाल खसरा नम्बर 9351/9322 रकबा 0.1741 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता, खसरा नम्बर 9353/9323 रकबा 0.1646 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता कुल खसरा 2 का कुल रकबा 0.3387 है0 प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित हाल खसरा नम्बरान् मूल स्वरुप से साबिक खसरा नम्बर 3163 का कुल रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा जो ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्व0 श्री प्रागा पुत्र सेडू, जाति अहीर की खातेदारी काश्त में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड रहा था एवं इस साबिक खसरा नम्बर में से 2 बीघा 9 बिस्वा की भूमि खेजरोली चौमूं सडक में जो वर्तमान में हैं, में चली गई एवं स्व0 श्री प्रागा पुत्र सेडू के खाते में यह रोड बन जाने के बाद 7 बीघा 19 बिस्वा भूमि जो हाल खेजरोली, चौमूं सडक हैं का खसरा नम्बर 3162/2 बना। स्व0 श्री प्रागा पुत्र सेडू जाति अहीर ने साबिक खसरा नम्बर 3163/1 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा की भूमि को जरिये पंजिबद्ध विक्रय पत्र के प्रतिवादी संख्या 1 को वर्ष 22 जनवरी 1986 को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज हुआ एवं वाद पत्र में वर्णित हाल खसरा नम्बरान्, साबिक खसरा नम्बर 3163/1 से बने है। साबिक खसरा नम्बर 3163/1 के हाल खसरा नम्बर 6194 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 6195 रकबा 1.27 है0, खसरा नम्बर 6195/8848 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 6195/8255 रकबा [illegible] खसरा नम्बर 6227 रकबा 0.18 है0 कुल रकबा 2.01 है0 बने है। [illegible] रकबा 1.27 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से में से [illegible] भूमियों का बेचान किया एवं उनवानी वाद पत्र रामचन्द्र बनाम मदनलाल वगै0 के [illegible] दिनांक 10.01.2018 की डिक्री की पालना में खसरा नम्बर 6195 के डिक्री में दर्ज नम्बर 6195/1 से 6195/6 से हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं, जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

जमाबन्द में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन लाईन खसरा नम्बर 6195/3 रकबा 0.0139 से खसरा नम्बर 9324/6195, खसरा नम्बर 6195/4 रकबा 0.3200 है0 से खसरा नम्बर 9325/6195, खसरा नम्बर 6195/5 रकबा 0.0331 है0 से खसरा नम्बर 9326/6195, खसरा नम्बर 6195/6 रकबा 0.0830 है0 से 9327/6195, खसरा नम्बर 6195/2 रकबा 0. 4100 है0 से खसरा नम्बर 9323/6195, खसरा नम्बर 6195/1 रकबा 0.4100 है0 से खसरा नम्बर 9322/6195 बने है। प्रतिवादी संख्या 1 ने हाल भूमि खसरा नम्बर 6195/8848 रकबा 0.43 है0 को वादी के पिता को हिस्सा 33/43 व भगवानसहाय पुत्र ईश्वरलाल को हिस्सा 4/43 व शेष हिस्सा 6/43 छीतर पुत्र मोहनलाल उर्फ मोहरु को बेचान कर देने से खसरा नम्बर 6195/8848 रकबा 0.43 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक अधिकार, उज्र शेष नहीं बचा। प्रतिवादी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 6227 रकबा 0. 18 है0 का भी बेचान वादी के पिता को किया गया। वर्तमान खातेदारी वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के साबिक खसरा नम्बर 3163/1 में से खेजरोली से बिलान्दरपुर जाने वाली सडक राज्य सरकार द्वारा बनायी गई जिसके सडक का खसरा नम्बर 6195/8255 रकबा 0.12 है0 बना। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के राजस्व खाता में कुल रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा (2.01 है0) में से सडक की भूमि रकबा 0.12 है0 का निकालने पश्चात् कुल भूमि 1.89 है0 शेष बचती है, परन्तु हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की समस्त राजस्व रिकार्ड इन्द्राज भूमियों सहित 2.01 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, इस प्रकार 0.12 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के राजस्व खाते में ज्यादा दर्ज हो जाने के कारण यह वाद बाबत् घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना लाजमी आया हैं। राजस्व नक्शा मुताबिक भूमि खसरा नम्बर 6227 व भूमि खसरा नम्बर 6195/8848 के मध्य खेजरोली से बिलान्दरपुर जाने वाली डामर सडक बनी हुई हैं। इस सडक का खसरा नम्बर 6195/8255 रकबा 0.12 है0 है, इस सडक के खसरा नम्बर मय रकबे को बराय–बदनियति, साजिशी व कारकूनान के तहत प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने राजस्व खाते में इन्द्राज करवा लेने से प्रतिवादी संख्या 1 बदनियति से भूमि खसरा नम्बर 6195 की सीमा में मौके पर बढोतरी करने के आशय से, खसरा नम्बर 6195/8848 की सीमा में अनाधिकृत रुप से परिवेश करना चाहता है। वादी के कब्जे में अनावश्यक दखन्दाजी करने के कारण हाल भूमि खसरा नम्बर 6195/8255 रकबा 0.12 है को इस वाद पत्र में विवादग्रस्त खसरा, रकबा के नाम से सम्बोधित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 3163 [illegible] खरीदने पश्चात् इस खसरा नम्बर के कुछ हिस्से की भूमि को पैट्रोल पम्प के लिये [illegible] करवाकर हाल किसान सर्विस पेट्रोल पम्प लगाया, मौके पर साबिक खसरा नम्बर [illegible] हाल खसरा नम्बर 6195 की सीमा पर पेट्रोल पम्प का पुख्ता डण्डा निर्माण किया जो कि खसरा नम्बर 6195/8848 की सीमा पर हैं, परन्तु अब बराय–बदनियति, साजिशी, कारकूनान के तहत सडक के खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं, जयपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

विवादग्रस्त को अपने खाते में इन्द्राज करवा लेने से वादी से सीमा का व्यर्थ विवाद करता हैं, इस कारण वादी को हक अधिकार हैं कि वह प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने खाते में लगवाये गये गलत इन्द्राज को दुरुस्त करवाने की डिक्री न्यायालय से प्राप्त करें, साथ ही भूमि खसरा नम्बर 6195/8848 व खसरा नम्बर 6195 की सीमा तय करवाकर उस पर, बाद सीमा निर्धारण पूरी तरह से काबिज रहे व हो जावें। राजस्व नक्शे व राजस्व खाते में खसरा नम्बर 6195/8848 व खसरा नम्बर 6227 के बीच स्थित सडक के विवादग्रस्त खसरा नम्बर की वर्तमान गलत स्थिति हैं बाबत् वादी को कानूनी अधिकार है कि वह नक्शा रिकॉर्ड की इस गलत स्थिति को न्यायालय श्रीमान् से दुरुस्ती की डिक्री प्राप्त कर सही करवायें।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के राजस्व खाता संख्या नया 640 में वर्णित खसरा नम्बर 6195/8255 रकबा 0.12 है0 भूमि को, सडक की भूमि खाता संख्या 1 में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावें व खसरा नम्बर 6195/8848 व 6195 की सीमा चिन्ह कायम की जाकर पुख्ता पत्थर लगवाये ताकि सीमा विवाद समाप्त हो, की आज्ञा पारित फरमाई जावें। खसरा नम्बर 6195/8848 में वादी की जाति में हुई लिपिकीय त्रुटि ब्राहम्ण को दुरुस्त किया जाकर ब्राहम्ण के स्थान पर अहीर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड की आज्ञा पारित फरमायी जावें। वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को इस कदर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह मौके पर गलत राजस्व इन्द्राज के आधार वादी की खातेदारी कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 6195/8848 में अनाधिकृत रुप से प्रवेश नहीं करें, ना ही किसी भी प्रकार का निर्माण कच्चा या पक्का नहीं करें, उपरोक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 करें, ना ही किसी भी अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, नोमिनी, प्रतिनिधि, मुख्त्यारआम या अन्य से करवायें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद तामिल अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में गवाह शंकरलाल के द्वारा साक्ष्य का शपथ पत्र एवं जमाबन्दी प्रदर्श 1 लगा 07, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 8, नामान्तकरण प्रदर्श—10, जमाबन्दी प्रदर्श 11 एवं दस्तावेज सूची के साथ दस्तावेज आधार कार्ड, विक्रय पत्र, उपतहसीलदार खेजरोली की रिपोर्ट आदि पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस में वकील वादी ने उन्ही तथ्यों को दोहराया जोकि वाद पत्र में अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्य शपथ पत्र का बगौर अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार एवं

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं, जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय अभिमत में वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम खेजरोली, पटवार हल्का खेजरोली ए, भू0अ0नि0 क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 6195/8255 रकबा 0.12 है0 पूर्व में गैर मुमकीन सडक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से पूर्व स्थिति के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज करने एवं खसरा नम्बर 6195/8848 रकबा 0.43 है0 में वादी की जाति ब्राम्हण के स्थान अहीर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावें एवं उक्त विवादग्रस्त आराजीयात में अंनाधिकृत रुप से दखलन्दाजी नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0 ट्रे0/मुख्यालय)चौमूँ
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ जयपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–09/2019

उनवान

शंकरलाल पुत्र नन्दाराम उर्फ नन्दलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. विष्णु कुमार पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, जाति ब्राम्हण, निवासी 5 सन्तोष नगर ब्रम्हपुरी जयपुर, हाल निवासी किसान सर्विस पेट्रोल पम्प ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. रामचन्द्र पुत्र बालूराम जाति अहीर, निवासी ए राजीव नगर सैक्टर नम्बर 3, विद्याधर नगर, जयपुर, हाल निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. मदनलाल पुत्र रामेश्वर जाति अहीर, निवासी ए–9, जगदम्बा कॉलोनी, नयाखोडा, जयपुर, हाल निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. सज्जन कुमार पुत्र भगवानसहाय, जाति जाट, निवासी ग्राम गोविन्दपुरा बासडी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. सुमित्रा देवी पत्नी मुकेश, जाति जाट, निवासी ग्राम हनुतियां, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. सुमित्रा देवी पत्नी दशरथ, जाति जाट, गोविन्दपुरा बासडी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूं तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. थानाधिकारी पुलिस थाना गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:–09/2019

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम खेजरोली, पटवार हल्का खेजरोली ए, भू0अ0नि0 क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला [illegible] रकबा 0.12 है0 पूर्व में गैर मुमकीन सडक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने [illegible] पूर्व [illegible]ति के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज करने [illegible] 0.43 है0 में वादी की जाति ब्राम्हण के स्थान अहीर [illegible] की जावें एवं उक्त विवादग्रस्त आराजीयात में अनाधिकृत रुप से दखलन्दाजी नहीं करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–09/2019
उनवान–शंकरलाल बनाम विष्णु कुमार
निर्णय दिनांक–22.01.2025

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 22.01.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ....

ओहदा...........

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	3	जोड़	0

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
जयपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner